अपीलान्ट | **बनाम** | **रेस्पोडेन्टस्**
ताराचन्द व अन्य | | ग्राम पंचायत देसूरी व अन्य

मु.नं. 63/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20/11/2019	वकुलाय उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से वकील श्री शेषाराम कुमावत उपस्थित तथा रेस्पोन्डेन्टस संख्या दो से चार की ओर से वकील सुधीर श्रीमाली उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता एवं धारा 135(2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट दिनांक 09.09.2019 को पेश किया जिसकी प्रति वकील अपीलान्ट को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र का जवाब वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.10.2019 को पेश किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विधि के आज्ञापक सिद्वान्त अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही मात्र सरसरी व फिस्कल है जिससे किसी व्यक्ति के हक, अधिकार तय नहीं हो सकते है। अतः जो अपीलान्ट ने 23–24 वर्षो पूराने विकय विलेख के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही करनी चाही वह विकय विलेख प्रथमदृष्टया ही फर्जी व कूटरचित तथा विधि विरूद्व होने से उनकी चुनौती सक्षम न्यायालय मे सिविल न्यायालय देसूरी मे सिविल वाद संख्या 1/2018 के विचाराधीन है तथा इसी विवादित आराजी से संबंधित में अपीलान्ट स्वयं ने इसी न्यायालय के समक्ष अपने नाम की खातेदारी घोषणा का अनुतोष राजस्व वाद संख्या 56/2017 चुन्नीलाल बनाम ताराचन्द व अन्य में प्रतिवाद/काउन्टर क्लेम के रूप में पेश किया है।जब अपीलान्ट की इस अपील का मुख्य आधार के संबंध में ही सक्षम न्यायालयों के उक्त वर्णित अनुसार वाद विचाराधीन है। जिससे दोनों पक्षकारान के हक, अधिकार सक्षम न्यायालयों के निर्णय अनुसार ही सुस्थापित हो सकते है। जिससें अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल नही हैं।अतः नामान्तरण की कार्यवाही निरस्त फरमावें। वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वकील अपीलान्ट द्वारा पेश कर निवेदन किया कि यह सही है कि नामान्तरण की कार्यवाही मात्र सरसरी व फिस्कल है, जिससे किसी भी व्यक्ति के हक, अधिकार तय नही होते है किन्तु अपीलान्ट द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्ट के पक्ष में उनके पिता बंशीलाल की मृत्युपरान्त कत्तई गलत रूपेण प्रश्नगत् विरासत ना[illegible] दर्ज कराया है, जिसे मंसुख करने के लिए प्रस्तुत की गई। जिसमे श्रीमान न्यायालय को कोई हक अ[illegible] अपितु सिर्फ यह देखना है कि मृत बंशीलाल द्वारा वादग्रस्त आराजी मे विद्यमान अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा विकय विलेख के जरिये उसके जीवनकाल मे उसके स्वयं के द्वारा विकय कर दिये जाने से वादग्रस्त आराजी मे उनके वारिसान रेस्पोडेन्टस को बतौर वारिसान उत्तराधिकारीगण के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्टस्**
ताराचन्द व अन्य ग्राम पंचायत देसूरी व अन्य

मु.नं. 63/2017

कोई हक अधिकार प्राप्त नही होने से रेस्पोडेन्टस् द्वारा अपने नाम दर्ज कराये अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण दर्ज कराने का अधिकार नही होने से विरासत नामान्तरकरण निरस्त योग्य है या नही। इस अपीलान्ट की यह अपील किसी प्रकार से धारा 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण की कार्यवाही की परिभाषा मे नही आती है, जिससे अपीलान्ट की यह अपील गलत रूपेण दर्ज किये अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण को निरस्त कराये जाने के संबंध मे कानूनन मेन्टेनेबल है।

उभयपक्षो की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्टस् संख्या दो से चार की ओर से वकील ने प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अपील का मुख्य आधार के सबंध में ही सक्षम न्यायालयों के उक्त वर्णित अनुसार वाद विचाराधीन है। जिससे दोनों पक्षकारान के हक, अधिकार सक्षम न्यायालयों के निर्णय अनुसार ही सुस्थापित हो सकते है। मात्र नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान हक, अधिकार स्थापित नहीं हो सकते है। वकील रेस्पोटेन्डस् ने अपनी बहस के समर्थन मे फहरिस्त दस्तावेज व निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. 2010 (1)RRT-310
2. 2006(1)RRT- 473
3. 2006(1) RRT- 633
4. 2011(1) RRT -1264
5. 2009(2)RRT-816
6. 2010(1)RRT-223
7. 2008(2)RRT-1426
8. 2003(2)RRT-753(SC)
9. 2003(2)RRT-870(HC)
10. 2006(2)RRT-923

वकील अपीलान्ट की ओर से दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये सिविल एवं राजस्व वाद गलत पेश किये है जिनके आधार पर अपीलान्ट की अपील किसी प्रकार से कानूनन मेन्टेनेबल नही होना नही माना जा सकता है। सिविल एवं राजस्व वादो मे निर्णय अनुसार हक अधिकार प्राप्त होगे। मात्र सिविल एवं राजस्व न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर देने एवं विचाराधीन होने मात्र से अपीलान्ट की यह कानूनन मेन्टेनेबल नही होती है। अपीलान्ट की अपील कानूनन मेन्टेनेबल है, [illegible] नामान्तरकरण की कार्यवाही की श्रेणी में नही आती है। [illegible] अपीलान्ट की यह अपील कानूनन मेन्टेनेबल है, जिससे अपील [illegible] को स्थागित किया जाना न्याय संगत नही है।

उभयपक्षो पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। [illegible] संबंध मे वकील रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टान्त सावंतमल व अन्य बनाम तुलची व अन्य 2010 (1)RRT-310 पेश किया जिसमे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपीलान्ट
ताराचन्द व अन्य

बनाम

रेस्पोडेन्टस्
ग्राम पंचायत देसूरी व अन्य

मु.न.- 63/2017

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह स्थापित किया गया है कि :– **"नियमित वाद विचारधीन है– खातेदारी अधिकार वाद में निर्णीत होंगे।"**

अपीलान्ट की इस अपील का मुख्य आधार के संबंध मे ही सक्षम न्यायालयों मे वाद विचाराधीन है। मात्र नामान्तरण की कार्यवाही या नामान्तरण अपील की कार्यवाही के दौरान हक अधिकार स्थापित नही हो सकते है। ऐसी स्थिति में इस नामान्तरकरण की कार्यवाही मे तहसीलदार द्वारा साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित नहीं मानते है।

अतः रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता एवं धारा 135 (2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मेन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को सरे–इज्लास मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested